हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्याःपीसीएच–एचए (1)2/2019–59188-198 शिमला–171009 दिनांक 14.9 ,2020.

अधिसूचना

क्योंकि उपायुक्त, चम्बा के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, जिला चम्बा, के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप–धारा(1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चम्बा के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को निम्नानुसार विभाजित/पुनर्गठित करने एवं नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतू ग्राम सभाओं के गठन करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला चम्बा के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन/जोड़ने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 7 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला चम्बा को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला चम्बा के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नए ग्राम सभा क्षेत्रों को घोषित करने और उनके लिए नई ग्राम सभाओं के गठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला चम्बा, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

क0सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या–2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या–4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामो के नाम	कोष्ठ संख्या–3 में वर्णित ग्राम सभा में बचे शेष ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड चम्बा						
1	राजपुरा	1 राजपुरा	भडोह	1 भडोह	1 राजपुरा	
		2 भडोह				

विकास खण्ड तीसा						
	खजुआ	1 खजुआ	जंजोग (विहाली)	1 खजुआ के पत्ती गांव विहाली, शलाहन, टोन नैयला व मखवा (खसरा न0 431/255)	1 खजुआ के पत्ती गांव वुलवास, गोठा,लाजणा खजुआ,वाडा, हुलेडा	
		2 जंजोग		2 जंजोग (खसरा न0 423/265)	2 श्रीगढ	
		3 श्रीगढ				
3	टिकरीगढ	1 शिमरा	टिकरीगढ (देहरोग)	1 टिकरीगढ के पत्ती गांव मझोगा, सालुइं शरोला, शुकोई देहरोग व खटुई (खसरा न01373/458)	1 शिमरा	
		2 टिकरीगढ		2 बटरूण्टी	2 टिकरीगढ के पत्ती गांव टिकरीगढ, ढाकयाडा, पुखरयाल व भरनी	
		3 बटरूण्टी			3 धार छरोठा	
		4 धार छरोठा				
विकास खण्ड पांगी						
4	किलाड़	1 सेरी भटवास	कुफा	1 सेरी भटवास	1 माहलियत	
		2 माहलियत		2 कुफा	2 थमोह	
		3 कुफा		3 परमस		
		4 थमोह				
		5 परमस				
विकास खण्ड भरमौर						
5	बजोल	1 बजोल	ग्रौण्डा	1 ग्रौण्डा	1 बजोल	
		2 गुवाडी		2 धार खडियाला	2 गुवाडी	
		3 डीपीएफ बजोल		3 खनार	3 डीपीएफ बजोल	
		4 डीपीएफ खुत्थी		4 धार द्रुगना	4 डीपीएफ खुत्थी	
		5 धार पटार		5 डीपीएफ धनछुन	5 धार पटार	
		6 सिन्दी		6 डीपीएफ डंगी	6 सिन्दी	
		7 ग्रौण्डा		7 डीपीएफ दियोटी		
		8 धार खडियाला				
		9 खनार				
		10 धार द्रुगना				
		11 डीपीएफ धनछुन				

	12 डीपीएफ डंगी				
	13 डीपीएफ दियोटी				

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)2/2019– 59188-198 शिमला–171009 दिनांक 14.09.2020.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आप्पतियों/आक्षेपों, यदि कोई हों, का तुरन्त निपटारा करके अपनी अन्तिम सिफारिश/आपत्तियों तथा आक्षेपों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों की अवधि के भीतर विशेष वाहक (email) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।
2. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।
3. समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतू तुरन्त उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।
4. समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट् पर चसपान सुनिश्चित करवाएगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।